दिनांक -14 मई 2024 को सेलाकुई क्षेत्रान्तर्गत सुन्दरवन में स्थित झुग्गी झोपडियों में आगजनी की घटना को अजांम देने वाले 01 अभियुक्त को थाना सेलाकुई पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिनांक 05-05-24 को सेलाकुई क्षेत्रान्तर्गत भाऊवाला सुन्दरवन के पास झुग्गी झोपडियों में आग लगने की घटना घटित हुई, जिसमें आग की चपेट में आने से लगभग 50 से 55 झुग्गी झोपडियां पूर्णतः जलकर राख हो गयी थी। उक्त झुग्गी झोपडियां सुन्दरवन क्षेत्र में एक प्राईवेट प्लाट पर बनी हुई थीं, जहां 02 वर्ष पूर्व वर्ष 2022 में भी इसी प्रकार आग लगने की घटना घटित हुई थी, 02 वर्ष के अन्तराल में एक ही स्थान पर घटित उक्त दोनो घटनाओं पर संदिग्धता प्रतीत होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा आग लगने के कारणों से जुडे सभी सम्भावित पहलुओं पर विस्तृत जांच के आदेश दिये गये, जिसमें पुलिस टीम को कार सवार व्यक्तियों द्वारा कार से उतरकर एक झोपडी के किनारे पर आग लगाये जाने की फुटेज प्राप्त हुई, जिसके आधार पर एसएसपी देहरादून के निर्देशो पर तत्काल संदिग्ध अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सेलाकुई में धारा 436 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी देहरादून द्वारा थानाध्यक्ष सेलाकुई को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में थाना सेलाकुई पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित टीम द्वारा घटना स्थल व आसपास आने जाने वाले मार्गो पर लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए अभियुक्तों के सम्बंध में जानकारी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया, पुलिस द्वारा किये गये प्रयासो से आगजनी की घटना को दो अभियुक्तों राजेंद्र सिंह बिष्ट तथा रवि गोसाई द्वारा किया जाना प्रकाश में आया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा पर्याप्त साक्ष्यो के आधार पर दिनांक 13-05-2024 को घटना में शामिल एक अभियुक्त राजेंद्र सिंह बिष्ट को धूलकोट तिराहे से घटना में प्रयुक्त किये गये वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल अन्य अभियुक्त रवि गुसांई अपने घर से फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वे उक्त प्लाट के मूल मालिक के परिचित है तथा उसके द्वारा उन्हें सेलाकुई में अपना प्लॉट होने के सम्बंध में जानकारी दी थी तथा उक्त प्लॉट को खाली कराने के लिये झुग्गी झोपडियों में निवासरत लोगो से बातचीत कर सैटलमेंट करने के लिये भेजा था, तथा सैटलमेंट के लिए पैसा भी दिया था, अभियुक्तों द्वारा बस्ती में निवासरत कुछ लोगो को पैसा देकर उनकी झोपड़ी खाली करवाई गई थी, इस दौरान अभियुक्त द्वारा लालच में आकर सैटलमेंट का पैसा हडपने की नीयत से झुग्गी झोपडियों में आग लगा दी, जिससे उक्त प्लाट को खाली कराया जा सके तथा सेटलमेंट का पैसा भी झोपड़िया में निवासरत व्यक्तियों को ना देना पड़े।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :-

राजेंद्र सिंह बिष्ट पुत्र कृपाल सिंह निवासी सुद्धोवाला, थाना प्रेम नगर, देहरादून, उम्र 45 वर्ष

नाम पता वांछित अभियुक्त :-

रवि गुसाई निवासी सुद्धोवाला, प्रेम नगर

पुलिस टीम :-

1- उप निरीक्षक अनित कुमार

2- कांस्टेबल मुकेश भट्ट

3- कांस्टेबल बृजेश रावत